कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा पद पर संबधित विषय हेतु आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/ संस्था/ सी–ओए/ 6004/ चयन/ 2016–17 दिनांक 15.07.16 के द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियो की चयन सूची में सम्मिलित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) **इतिहास** (पु./म.) एवं समकक्ष पद (ग्रुप एफ) पे–बेण्ड पीबी–2–(9300–34800) ग्रेड पे 4800 में वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही मे श्रीमती शशीकला जैन व.अ. रा. आदर्श उमावि पिपलदा (डूंगरपुर) जिनकी जन्मतिथि 27.5.56 अंकित होने के कारण पदौन्नति आदेश जारी नही किये गये जिसका वरिष्ठता सूची में सही अंकन होने के कारण श्रीमती शशीकला जैन जन्म तिथि 27.05.1959 वरिष्ठता क्रमांक 890/2011–12 को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा इतिहास की वर्ष 2016–17 की रिक्तियो के प्रति चयन किये जाने के फलस्वरुप इनका पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय गंधवा –डूंगरपुर में किया जाता हैं ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई हैं । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे । अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल **ad.estt.dse@rajasthan.gov.in** पर तुरंत सूचित करेंगे। आदेश में वर्णित वरिष्ठता वर्ष के पश्चात यदि किसी व0अ0 का मण्डल परिवर्तन हुआ है तो उक्त आदेश लागू नही होगा एवं संबधित संस्था प्रधान द्वारा कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही करवाए तथा तत्काल निदेशालय को वाहक स्तर पर अवगत करवाए।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक 30.4.17 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ईमेल सूचित करेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें । इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थाप्रधान का ही होगा

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा./संस्था/सी–2/इतिहास/डीपीसी–पदस्थापन/2016 दिनॉकः–17.04.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
04. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त
06. संबधित संस्था प्रधान
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक–कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर